



राजस्थान सरकार

# न्यायालय तहसीलदार गुड़ामालानी

प्रकरण संख्या 27/2025

प्रार्थी/सायल  
राजस्थान सरकार जरिये  
हल्का पटवारी गुड़ामालानी

बनाम

अप्रार्थी/गैर सायलान्  
नरसीराम पुत्र केवाराम जाति माली  
निवासी राठौड़ो की ढाणी  
तहसील गुड़ामालानी जिला बालोतरा

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक 05.01.2026

## निर्णय

प्रकरण से संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार है कि पटवारी हल्का गुड़ामालानी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा गुड़ामालानी की राजकीय भूमि ख.न. 1683/4 रकबा 0.3237 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन गोचर(राजकीय भूमि) में से 150 वर्गफीट पर अनाधिकृत कब्जा कर अतिक्रमी द्वारा सब्जी की लारी लगाकर अतिक्रमण/अतिचार कर रखा है। अतः गैर सायलान् के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने तथा उक्त भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया। पटवारी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्ट्रर कर गैर सायलान् को नोटिस जारी किया गया।

सुनवाई की नियत तिथि दिनांक 05.01.2026 को हल्का पटवारी उपस्थित, गैर सायलान् अनुपस्थित। गैर सायलान् को सुनवाई का मौका देने व खुले न्यायालय में तीन बार तीन-तीन आवाज लगाने के तदुपरान्त अनुपस्थित रहने से कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जाती है।

हमने पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया। प्रश्नगत भूमि किस्म गैर मुमकिन गोचर(सरकारी भूमि) है जिस पर गैर सायलान् का अनाधिकृत कब्जा साबित होता है। अतः गैर सायलान् को उक्त भूमि का अतिक्रमी घोषित किया जाकर लगान 0.15 रुपये का राउण्ड अप 01 रुपये का 50 गुना शास्ति आरोपित करते हुए 50 रुपये का जुर्माना आरोपित किया जाता है। गैर सायलान् को उक्त भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं तथा अनाधिकृत रूप से अतिक्रमी द्वारा लगाई गयी लारी को हटावा कर बेदखली के आदेश दिये जाते हैं। बेदखली एवं जुर्माना वसूली हेतु हल्का पटवारी, ILR तथा मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 05.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(ईश्वरलाल सोलंकी आर.टी.एस)

Signature of तहसीलदार गुड़ामालानी

Digitally signed by Ishwar Lal  
Solanki

Designation : Taksildar

Date: 2026.01.05 17:29:05 IST

Reason: Approved

RajKaj  
19749546

eSign 1.0

